बिहार सरकार
समाहरणालय, किशनगंज
किशनगंज–855107
(जिला शस्त्र शाखा)

दूरभाष – 06456–222535 (आवास)
06456–222520 (आवास)
06456–222626 (आवास फैक्स)
06456–222530 (कार्या0)
06456–225480 (कार्या0)
email: dm-kishanganj.bih@nic.in

–: आदेश :–

शस्त्र नियमावली, 1959 के नियम, 17 एवं आयुध नियम, 2016 के नियम 30 में निहित प्रावधान तथा संभावित पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के मद्देनजर किशनगंज जिला के सभी प्रकार के वैद्य शस्त्रों का भौतिक सत्यापन हेतु पूर्व में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक–149/जि.शस्त्र, दिनांक–25.03.2021 द्वारा दिनांक–01.04.2021 से दिनांक–08.04.2021 तक तिथि निर्धारित की गयी थी। परन्तु उक्त निर्धारित तिथियों में बहुत से अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराया जा सका है।

अतः उक्त आलोक में ऐसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी जिनके द्वारा उक्त निर्धारित तिथि को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराया जा सका है, वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लिए पुनः अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराने हेतु एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करते हुए दिनांक–22.07.2021 से दिनांक–28.07.2021 तक निम्नरूपेण कार्यक्रम निर्धारित करते हुए कॉलम–3 में अंकित अंचलाधिकारी को कॉलम–2 में अंकित थाना के सभी अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्रों का भौतिक सत्यापन हेतु प्राधिकृत किया जाता है :–

क्र.	थाना का नाम	निरीक्षण पदाधिकारी	निरीक्षण की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	कोचाधामन	अंचल अधिकारी, कोचाधामन	दिनांक–22.07.2021 से दिनांक–28.07.2021 तक	
2	किशनगंज	अंचल अधिकारी, किशनगंज		
3	टेढ़ागाछ, फतेहपुर एवं बीबीगंज	अंचल अधिकारी, टेढ़ागाछ		
4	दिघलबैंक, कोढ़ोबाड़ी, गर्भनडांगा	अंचल अधिकारी, दिघलबैंक		
5	बहादुरगंज	अंचल अधिकारी, बहादुरगंज		
6	पोठिया एवं पहाड़कट्टा	अंचल अधिकारी, पोठिया		
7	ठाकुरगंज, गलगलिया, सुखानी, पाठामारी, कुर्लीकोट, पौआखाली, जियापोखर	अंचल अधिकारी, ठाकुरगंज		

प्रतिनियुक्त निरीक्षी पदाधिकारी अपने आवंटित थाना के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा धारित वैद्य शस्त्र का भौतिक सत्यापन यथा शस्त्र की संख्या का मिलान, शस्त्र के रख–रखाव की स्थिति एवं कारतुस की उपलब्धता आदि की जॉच करेंगे तथा सत्यापित शस्त्रों की सूची निरीक्षण समाप्ति की तिथि के दूसरे दिन अर्थात दिनांक–29.07.2021 को अचुक रूप से जिला शस्त्र शाखा, किशनगंज में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

शस्त्र निरीक्षण/सत्यापन करने वाले प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी निरीक्षण करते समय भारत निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या–464/96, दिनांक–13.03.96 में निहित निदेश का अक्षरशः अनुपालन करेंगे, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अन्य बातों के अलावे जिसमें समीक्षा की आवश्यकता होगी, उसमें तीन तत्व को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है :–

1. वैसे अनुज्ञप्तिधारी जो जमानत पर रिहा है।
2. वैसे अनुज्ञप्तिधारी जिनका आपराधिक कांडों का इतिहास रहा हो।
3. वैसे अनुज्ञप्तिधारी जो विशेषकर पूर्व में निर्वाचन अवधि में किसी भी दंगा –फसाद में संलग्न रहे हो।

समीक्षा के पश्चात् ऐसे सभी अनुज्ञप्तिधारियों की पहचान की जायेगी तथा उन्हें निदेश दिया जायेगा कि वे अपने शस्त्र को जिला प्रशासन/निकटवर्ती थाना के पास अभ्यर्थिता वापसी के अंतिम दिन के एक सप्ताह के अंदर जमा कर देंगे।

सम्बन्धित दण्डाधिकारी को यह भी निदेश दिया जाता है कि भौतिक सत्यापन कराये गये अनुज्ञप्तिधारियों का सत्यापन की प्रविष्टि एक पंजी में की जायेगी एवं सत्यापनोपरांत पंजी के साथ–साथ शस्त्र निरीक्षण नहीं कराने वाले शस्त्र अनुज्ञिप्तधारियों की सूची तथा जप्त किये गये शस्त्रों का प्रतिवेदन थानाध्यक्ष एवं प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी संयुक्त हस्ताक्षर से विहित प्रपत्र में भेजना सुनिश्चित करेंगे। सत्यापन नहीं कराने वाले शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध शस्त्र अधिनियम एवं शस्त्र नियमावली के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी।

ह0/–
जिला दण्डाधिकारी,
किशनगंज।

ज्ञापांक......114...../जि.शस्त्र,किशनगंज, दिनांक...12../07/2021

प्रतिलिपि :: सभी अंचलाधिकारी/थानाध्यक्ष, किशनगंज जिला को निदेश दिया जाता है कि सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को सूचना का अपने स्तर से तामिला करा कर उनके शस्त्र का निरीक्षण कराना सुनिश्चित करेंगे। सूचना तथा एतद् विषयक तामिला प्रतिवेदन दिनांक–21.07.2021 तक अचूक रूप से जिला सामान्य प्रशाखा को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :: जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (एन.आई.सी.), किशनगंज को सूचनार्थ एवं निदेश है कि किशनगंज जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :: जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त कार्यक्रम की सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :: अपर समाहर्त्ता/अनुमंडल दण्डाधिकारी/प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी, जिला किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: पुलिस अधीक्षक, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/सभी थानाध्यक्ष को निदेश देने की कृपा की जाय कि वे निर्धारित तिथि एवं स्थान पर अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र के निरीक्षण कराने हेतु सूचना का तामिला सुनिश्चित करायें।

Aditya Anand
10/7/2021
जिला दण्डाधिकारी,
किशनगंज।